



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167710

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27913 वर्ष 2026

धर्मेन्द्र एवं एक अन्य

....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : हरे राम पाण्डेय, शशांक पाण्डेय

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता : अरुण यादव, जी.ए., मनोज कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या – 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक पाण्डेय, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री कुँवर तेजेंद्र बहादुर को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदकगण को थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट में धारा 103(1), 238(क) बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 166 वर्ष 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदकगण को सह-अभियुक्त गोलू निषाद के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है और आरोप के अनुसार आवेदकगण ने सह-अभियुक्त गोलू निषाद तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचनाकर्ता के लगभग नौ वर्षीय पुत्र की हत्या की तथा जब सूचनाकर्ता अपनी पुत्री के साथ तलाश करते हुए घटनास्थल पर पहुंची, तब उसने देखा कि आवेदकगण, सह-अभियुक्त गोलू निषाद तथा कुछ अज्ञात व्यक्ति मृतक के शव को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, किन्तु आवेदकगण के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः झूठे हैं।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता की पुत्री काव्या के बयान से, जो पत्रावली के पृष्ठ-64 पर संलग्न है, यह स्पष्ट है कि वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी थी और उसके अनुसार सह-अभियुक्त गोलू निषाद ने मृतक को चोट पहुंचाई थी तथा उसने आवेदकगण के नाम तक नहीं बताए।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वास्तव में आवेदक संख्या 1 धर्मेन्द्र, सह-अभियुक्त गोलू निषाद का सगा भाई है, जबकि आवेदक संख्या 2 पप्पू उसका पिता है और केवल इसी कारण से उन्हें सह-अभियुक्त गोलू निषाद के साथ वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है, जो मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वे जून, 2026 से जेल में निरुद्ध हैं।

7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक संख्या 1 धर्मेन्द्र का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किन्तु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि वह मामला छोटे अपराध से संबंधित है। वे आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत अन्य तर्कों का भी खंडन नहीं कर सके।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

9. यद्यपि आवेदकगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है, किन्तु यह स्वीकार किया गया है कि मामले की सूचनाकर्ता घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी और सूचनाकर्ता के अनुसार जब वह अपनी पुत्री के साथ घटनास्थल पर पहुंची, तब उसने देखा कि आवेदकगण सह-अभियुक्त गोलू निषाद के साथ मृतक के शव को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। किन्तु सूचनाकर्ता की पुत्री काव्या के बयान से यह परिलक्षित होता है कि वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी है और उसके अनुसार सह-अभियुक्त गोलू निषाद ने मृतक को चोट पहुंचाई थी तथा उसने आवेदकगण के नाम तक नहीं बताए। साक्षी काव्या का बयान प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट

तथा विवेचना के दौरान दर्ज अपने बयान में सूचनाकर्ता द्वारा आवेदकगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर संदेह उत्पन्न करता है।

10. इसके अतिरिक्त, आवेदक संख्या 1 सह-अभियुक्त गोलू निषाद का सगा भाई है, जबकि आवेदक संख्या 2 उसका पिता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदकगण सह-अभियुक्त गोलू निषाद के निकट पारिवारिक सदस्य हैं, इसलिए उन्हें वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है, को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, प्रथम दृष्टया सह-अभियुक्त गोलू निषाद मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है।

11. इसके अतिरिक्त, यद्यपि आवेदक संख्या 1 धर्मेन्द्र का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किन्तु वह मामला छोटे अपराध से संबंधित है।

12. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदकगण जून, 2026 से जेल में निरुद्ध हैं।

13. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदकगण जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी हैं।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

15. आवेदकगण-धर्मेन्द्र एवं पप्पू को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदकगण निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदकगण किसी भी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”